

30/8/13 - उभयपक्ष - अनु. 1

पूनः रिनांक - 14.9.13 को रखें।

श. 2. 34. 1111.

14.9.13

वादी - की हाजरी है,

विपक्षी का वकालतनामा के साथ हाजरी है।

अख्तियारनामों अथ कार्य में व्यक्त।

पूनः रिनांक - 27.9.13 को रखें।

श. 2. 34. 1111.

27.9.13

वादी की हाजरी है

विपक्षी की हाजरी है।

पूनः रिनांक - 23.10.13 को रखें।

श. 2. 34. 1111.

23.10.13 -

उभयपक्ष की हाजरी है।

विपक्षी की ओर से जवाब दारिद्वल है।

पूनः रिनांक - 13.11.13 को रखें।

श. 2. 34. 1111.

13.11.13.

वादी -

विपक्षी की ओर से हाजरी है।

पूनः रिनांक - 30.11.13 को रखें।

श. 2. 34. 1111.


30.11.13

वादी की हाजरी है.

विपक्षी की हाजरी

पूनः रिनांक - 07.12.13 को रखें।

श. 2. 34. 1111.

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित |
|------------------------------|--|--|
| 2-12-13 | <p>उत्तर पक्ष की हाजिरी है।</p> <p>उत्तर पक्ष के विज्ञ अपिपकना को सुना। उनके द्वारा दारिद्र्य काजलानों का अवलोकन किया, विपक्षी का कहना है कि वादी द्वारा जो इस वाद के तहत भूमि को लाया है उस भूमि से इन्हें कोई लेना-देना नहीं है। वादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि इन्हें पर्याय द्वारा प्राप्त है।</p> <p>उपर्युक्त तथ्यों के आसपास में इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। वादी को आदेश दिया जाता है कि वे मंचल कार्यालय में अमानत शुल्क जमा कर अपने पर्याय की भूमि का नापी करवा लें। मंचल अधिकारी केवरी को निर्देश दिया जाता है कि वे पर्यायवाली भूमि का नापी निपमानुश्ल का पर्याय अक्षर भूमि अक्षर का दे।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुपार उप-माली सद, (गंगा)। </p> | |